

विषय: मुकेरियन पेपर्स लिमिटेड (MPL)  
1994 में जारी किए गए सिक्वोर्ड डेबेंचर का रिडीम्शन

---

प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि MPL के 1994 में जारी सिक्वोर्ड डेबेंचर धारकों को प्रत्येक डेबेंचर पर 34.10 रुपये (चौतीस रुपये और दस पैसे) के अनुपातिक हिस्से का भुगतान किया जाएगा।

2. इसके संबंध में, डेबेंचर धारकों को सलाह दी जाती है कि वे ₹200 के स्टॉप पेपर पर नोटरीकृत उत्तरदायित्व एवं क्षतिपूर्ति पत्र (मूल प्रति) के साथ मूल डेबेंचर प्रमाणपत्र और केवाईसी नियमों का पालन करते हुए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज जमा करें।
3. दस्तावेजों की जाँच के बाद, MPL के 1994 में जारी सिक्वोर्ड डेबेंचर धारकों को प्रति डेबेंचर 34.10 रुपये का अनुपातिक हिस्सा संबंधित बैंक खाते में जमा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बारे में संबंधित डेबेंचर धारकों को सूचित किया जाएगा। आवश्यक केवाईसी और अन्य दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

कंपनी/कॉर्पोरेट/बैंक डेबेंचर धारकों के लिए:

- i. मूल डेबेंचर प्रमाणपत्र (PART-C)
- ii. ₹200 के स्टॉप पेपर पर नोटरीकृत उत्तरदायित्व एवं क्षतिपूर्ति पत्र (मूल प्रति), जैसा कि हमारी वेबसाइट पर सख्ती से निर्धारित फॉर्मेट में है
- iii. कॉर्पोरेट/बैंकों का CIN नंबर
- iv. कॉर्पोरेट/बैंकों का पंजीकृत कार्यालय पता
- v. अधिकृत अधिकारी की स्व-प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति (आधार कार्ड, पैन कार्ड) जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो
- vi. बैंक खाता विवरण
- vii. संपर्क नंबर / ईमेल आईडी
- viii. डेबेंचर प्रमाणपत्रों के विवरण सहित कुल डेबेंचर की सूची

स्वयं/व्यक्तिगत डेबेंचर धारकों के लिए:

- i. मूल डेबेंचर प्रमाणपत्र (PART-C)
- ii. ₹200 के स्टॉप पेपर पर नोटरीकृत उत्तरदायित्व एवं क्षतिपूर्ति पत्र (मूल प्रति), जैसा कि हमारी वेबसाइट पर सख्ती से निर्धारित फॉर्मेट में है
- iii. डेबेंचर धारक की स्व-प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति
- iv. बैंक खाता विवरण (रद्द किया हुआ चेक)
- v. संपर्क नंबर / ईमेल आईडी
- vi. स्व-प्रमाणित पता प्रमाण पत्र की प्रति
- vii. स्व-प्रमाणित पैन कार्ड की प्रति

4. प्राधिकारी द्वारा अनुपातिक हिस्से के भुगतान की मंजूरी के पश्चात्, डेबेंचर धारकों से अनुरोध है कि वे उक्त दस्तावेज मूल डेबेंचर प्रमाणपत्र (PART-C) के साथ प्रस्तुत करें। दस्तावेजों की जांच के बाद, आपके डेबेंचर प्रमाणपत्र वाली राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी, जैसा कि आप द्वारा बताया गया होगा।

मुकेरियन पेपर्स लिमिटेड (MPL)  
1994 में जारी सिक्वोर्ड डेबेंचर का रिडीम्शन

---

अधिकृत प्राधिकारी ने 1994 में जारी MPL के सिक्वोर्ड डेबेंचर धारकों को प्रत्येक डेबेंचर पर 34.10 रुपये (चौतीस रुपये और दस पैसे) का अनुपातिक हिस्सा रिडीम करने की मंजूरी दी है।

2. इसके संदर्भ में, डेबेंचर धारकों को सलाह दी जाती है कि वे ₹200 के स्टॉप पेपर पर नोटरीकृत उत्तरदायित्व एवं क्षतिपूर्ति पत्र (मूल प्रति) के साथ अपनी मूल डेबेंचर सर्टिफिकेट और KYC नियमों का पालन करते हुए आवश्यक KYC दस्तावेज जमा करें।
3. दस्तावेज जमा करने और सत्यापन के बाद, हम MPL के 1994 में जारी सिक्वोर्ड डेबेंचर धारकों को प्रति डेबेंचर 34.10 रुपये का अनुपातिक हिस्सा संबंधित बैंक खाते में जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तथा संबंधित डेबेंचर धारकों को सूचित करेंगे। प्रस्तावित KYC और अन्य दस्तावेज इस प्रकार हैं:

कंपनी/कॉर्पोरेट/बैंक डेबेंचर धारकों के लिए:

- मूल डेबेंचर सर्टिफिकेट (PART-C)
- ₹200 के स्टॉप पेपर पर नोटरीकृत Undertaking cum Indemnity Bond (मूल प्रति) (हमारी वेबसाइट पर सख्ती से निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार)
- कॉर्पोरेट/बैंकों का CIN नंबर
- कॉर्पोरेट/बैंकों का पंजीकृत कार्यालय पता
- अधिकृत अधिकारी की स्व-प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति (आधार कार्ड, पैन कार्ड) जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो
- बैंक खाता विवरण
- संपर्क नंबर / ईमेल आईडी
- डेबेंचर सर्टिफिकेट के समस्त विवरणों सहित कुल डेबेंचर सूची

स्वयं/व्यक्तिगत डेबेंचर धारकों के लिए:

- मूल डेबेंचर सर्टिफिकेट (PART-C)
  - ₹200 के स्टॉप पेपर पर नोटरीकृत Undertaking cum Indemnity Bond (मूल प्रति) (हमारी वेबसाइट पर सख्ती से निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार)
  - डेबेंचर धारक की स्व-प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति
  - बैंक खाता विवरण (रद्द किया हुआ चेक)
  - संपर्क नंबर / ईमेल आईडी
  - स्व-प्रमाणित पता प्रमाण पत्र की प्रति
  - स्व-प्रमाणित पैन कार्ड की प्रति
4. चूंकि अधिकृत प्राधिकारी ने प्रति डेबेंचर 34.10 रुपये के अनुपातिक हिस्से के रिडीमशन को मंजूरी दी है, डेबेंचर धारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त दस्तावेज मूल डेबेंचर सर्टिफिकेट

(PART-C) के साथ जमा कराएं। दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद, आपकी डेबेंचर राशि आपके बताए गए बैंक खाते में जमा कर दी।